

# स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर ।

दिनांक 15.12.2010 को प्रातः 11.00 बजे सभागार कुलपति सचिवालय, प्रशासनिक कार्यालय, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में आयोजित प्रबन्ध मण्डल की 79वीं बैठक का कार्यवाही विवरण :—

**निम्न सदस्य उपस्थित थे :—**

1. श्री सूरजमल मीणा, आई.ए.एस. कुलपति एवं संभागीय आयुक्त, बीकानेर	<b>अध्यक्ष</b>
2. श्री संतोष कुमार सहारण, माननीय विधायक	सदस्य
3. डॉ. एम.एस. राठौड़	सदस्य
4. डॉ. रामदेव	सदस्य
5. श्री परता राम सियाग	सदस्य
6. डॉ. एम.पी. साहू	सदस्य
7. डॉ. जी.एल. केशवा	सदस्य
8. डॉ. जी.एन. परिहार	सदस्य
9. डॉ. जी.एन. माथुर	सदस्य
10. डॉ. अजीत सिंह शेखावत	सदस्य
11. डॉ. आई.जे. गुलाटी	सदस्य
12. श्री रामदेव गोयल, कुल सचिव	सदस्य सचिव

**आमंत्रित सदस्य :—**

श्री जगदीश प्रसाद स्वामी, वित्त नियंत्रक

प्रमुख शासन सचिव, कृषि, उच्च शिक्षा, सचिव पशुपालन, निदेशक कृषि, डॉ मनिन्द्रा कपूर व डॉ टी.ए.मोरे प्रबन्ध मण्डल की बैठक में भाग नहीं ले सकें।

बैठक के प्रारम्भ में माननीय कुलपति महोदय ने नये मनोनीत सदस्यों श्री संतोष कुमार सहारण, विधायक, डॉ जी.एन.माथुर व अन्य सभी माननीय सदस्यों का स्वागत किया एवं डॉ गोविन्द सिंह के द्वारा दी गई सेवाओं की सराहना की गई।

एसकेराकृषि / बोम—  
79/2010-3/1145

78वीं प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 31.07.2010 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि करने बाबत् ।

यह पारित (Resolved) किया गया कि 78वीं प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 31.07.2010 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की जाती है।

<p>एसकेराकृवि / बोम— 79/2010-3/1146</p>	<p>78वीं प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 31.07.2010 के कार्यवाही विवरण पर की गई कार्यवाही बाबत ।</p> <p>यह पारित (Resolved) किया गया कि 78वीं प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 31.7.2010 के कार्यवाही विवरण पर की गई कार्यवाही की पुष्टि निम्न के साथ की जाती हैं :—</p> <p><b>एसकेराकृवि / बोम—78/2010-2/1139</b></p> <p>कैरियर एडवान्समेंट योजना के अन्तर्गत सहायक आचार्य वरिष्ठ वेतनमान से सहायक आचार्य चयनित ग्रेड में पदवैन्नति बाबत प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ और यह पारित (Resolved) किया गया कि प्रकरण को राज्यसरकार से अनुमति/स्वीकृति प्राप्त कर जल्द से जल्द कार्यवाही नियमानुसार की जाए ।</p> <p><b>एसकेराकृवि / बोम—78/2010-2/1143</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. विश्वविद्यालय मे नवनिर्मित किसानघर का नाम रखते बाबत विस्तृत विचार विमर्श हुआ और यह पारित (Resolved) किया गया कि नवनिर्मित किसानघर का नाम पूर्व विधायक स्वर्गीय भीमसेन चौधरी के नाम पर किया जावें ।</li> <li>2. महान विचारक तथा शिक्षाविद स्वामी केशवानन्द के नाम पर विशिष्ट योग्यता प्राप्त कृषि स्नातकोत्तर छात्रों को छात्रवृत्ति शुरू करने बाबत बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट शीध पेश करने तथा स्वामी केशवानन्द के जीवन परिचय एवं अन्य सामग्री उपलब्ध कराने हेतु ट्रस्ट से निवेदन किया जाए ।</li> <li>3. सहायक प्राध्यापकों को सह प्राध्यापक का पदनाम देने बाबत विस्तृत विचार विमर्श हुआ और यह पारित किया गया कि आईसीआर के दिशा निर्देशों का परीक्षण कर एक माह में नियमानुसार कार्यवाही की जाए ।</li> </ol>
<p>एसकेराकृवि / बोम— 79/2010-3/1147</p>	<p>विश्वविद्यालय वित्त समिति की बैठक दिनांक 14.12.2010 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि करने बाबत ।</p> <p>यह पारित (Resolved) किया गया कि वित्त समिति की बैठक दिनांक 14.12.2010 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की जाती हैं ।</p>
<p>एसकेराकृवि / बोम— 79/2010-3/1148</p>	<p>विश्वविद्यालय का आय व्यय अनुमान वर्ष 2010-11 संशोधित अनुमान वर्ष 2009-10 एवं बैलेंस सीट वर्ष 2008-09 की पुष्टि करने बाबत ।</p> <p>यह पारित (Resolved) किया गया कि विश्वविद्यालय का आय व्यय अनुमान वर्ष 2010-11 संशोधित अनुमान वर्ष 2009-10 एवं बैलेंस सीट वर्ष 2008-09 की पुष्टि की जाती हैं ।</p>
<p>एसकेराकृवि / बोम— 79/2010-3/1149</p>	<p>विश्वविद्यालय मे पेंशन फण्ड के गठन करने बाबत ।</p> <p>श्री जगदीश स्वामी, वित्त नियन्त्रक एवं आमंत्रित सदस्य ने सदन को अवगत कराया कि पूर्व मे पेंशन फण्ड का अलग से खाता नहीं खोले जाने के कारण कर्मचारियों के भविष्य निधि का भी करीब 60 करोड रुपये पेंशन भुगतान मे खर्च हो गया हैं जो कि राज्यसरकार से पुर्णभरण होना हैं । सभी माननीय सदस्यों ने 60 करोड रुपये राज्यसरकार से पुर्णभरण करने के लिये सर्वसम्मित से सामूहिक प्रयास किये जाने पर सहमत हुए साथ ही यह पारित (Resolved) किया गया कि पेंशन फण्ड का खाता अलग से खोला जाए और मासिक वेतन मे से की जाने कटौतियों से विश्वविद्यालय अंशदान की राशि को विश्वविद्यालय पेंशन फण्ड मे एवं कर्मचारियों के स्वयं के अंशदान को भविष्य निधि खाते मे जमा की जाए व कर्मचारियों के भविष्य निधि राशि से पेंशन का भुगतान न हों ।</p>

एसकेराकृवि / बोम— 79/2010-3/1150	<p>उप शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के परिपत्र क्रमांक प./7(2) डीओपी/ए-II/2006 दिनांक 05.07.2010 में उल्लेखित केवल संशोधित अनुसूची-I के बिन्दु 4(i) जिसके अन्तर्गत कनिष्ठ लिपिक पद की योग्यता में परिवर्तन किया गया है को स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर शैक्षणेत्तर कर्मचारी नियुक्ति एवं पदोन्नति नियम के SCHEDULE "A" में उल्लेखित वर्तमान कनिष्ठ लिपिक पद की योग्यता के स्थान पर अंगीकृत (Adopt) करने बाबत् ।</p> <p>यह पारित (Resolved) किया गया कि उप शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के परिपत्र क्रमांक प./7(2) डीओपी/ए-II/2006 दिनांक 05.07.2010 में उल्लेखित केवल संशोधित अनुसूची-I के बिन्दु 4(i) जिसके अन्तर्गत कनिष्ठ लिपिक पद की योग्यता में परिवर्तन किया गया है को स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर शैक्षणेत्तर कर्मचारी नियुक्ति एवं पदोन्नति नियम के SCHEDULE "A" में उल्लेखित वर्तमान कनिष्ठ लिपिक पद की योग्यता के स्थान पर स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में अंगीकार किये जाते हैं ।</p>
एसकेराकृवि / बोम— 79/2010-3/1151	<p>श्री जय शर्मा पुत्र स्व. श्री ललित नारायण शर्मा को मृतक आश्रित अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियमों में (प्रकरण देरी से प्राप्त होने के कारण) शिथिलता प्रदान करने बाबत् ।</p> <p>यह पारित (Resolved) किया गया कि श्री जय शर्मा पुत्र स्व. श्री ललित नारायण शर्मा को मृतक आश्रित अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियमों में प्रकरण देरी से प्राप्त होने के कारण शिथिलता प्रदान की जाती है ।</p>
एसकेराकृवि / बोम— 79/2010-3/1152	<p>विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा, राज्यपाल सचिवालय, जयपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक एफ. 27(12) आरबी/2010/6165 दिनांक 16.11.2010 जिसमें विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा ने विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 की धारा 1(1)(ए) के अन्तर्गत नियमित कुलपति के चयन हेतु गठित की जाने वाली चयन समिति में विश्वविद्यालय द्वारा प्रबंध मण्डल के सदस्य का नामांकन किए जाने बाबत् ।</p> <p>प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया और सर्वसम्मति से यह पारित (Resolved) किया गया कि डा० ए.एस.फरौदा, तत्कालीन कुलपति, एमपीयूएटी, उदयपुर को कुलपति के चयन हेतु गठित की जाने वाली चयन समिति में विश्वविद्यालय द्वारा प्रबंध मण्डल के सदस्य के रूप में नामांकित किया जाता है ।</p>
एसकेराकृवि / बोम— 79/2010-3/1153	<p>स्वामी केशवानन्द स्मृति चैरिटेबल ट्रस्ट, ग्रामोत्थान विद्यापीठ संगरिया, हनुमानगढ़ के अध्यक्ष जस्टिस जगतसिंह के पत्र दिनांक 21.9.2010 द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में स्वामी केशवानन्दजी की सर्वधातु आदम कद 5 फुट 8 इंच प्रतिमा लगवाने के प्रस्ताव पर विचार करने बाबत् ।</p> <p>यह पारित (Resolved) किया गया कि स्वामी केशवानन्द जी की आदम कद 5 फुट 8 इंच की सर्वधातु मूर्ति विश्वविद्यालय परिसर में लगाये जाने की पुष्टि की जाती है ।</p>

एसकेराकृति / बोम—  
79/2010-2/1154

अन्य कोई भी प्रकरण हो तो माननीय कुलपति महोदय की अनुमति से विचार विमर्श करने बाबत् ।

सदन के माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये गये तथा यह पारित किया गया कि :—

- 1- विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल के कार्यवाही विवरण की प्रति सभी सदस्यों को समय पर भेजी जाएं साथ ही बैठक की जानकारी व कार्यसूची समय पर माननीय सदस्यों को भिजवाये जाने की व्यवस्था की जाए ।
- 2- विश्वविद्यालय की सभी कार्यवाहीयों/प्राग्रामों आदि के बारें में प्रबन्ध मण्डल के माननीय सदस्यों को समय पर सूचित किया जाएं साथ ही अति महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में आमंत्रित किया जाए ।
- 3- श्री परताराम चौधरी, माननीय सदस्य ने सदन को अवगत कराया कि कृषि अनुसंधान केन्द्र दुर्गापुरा फार्म की 28 हैक्टेयर जमीन राज्यसरकार मेट्रो ट्रेन के लिये अवाप्त कर रही है इसकी जानकारी सदन को नहीं दी गई हैं सभी माननीय सदस्यों ने सर्वसम्मिति से पारित किया कि सभी की भावनाओं और हरित कान्ति को देखते हुए दुर्गापुरा फार्म के स्वरूप से छेड़छाड़ नहीं की जाए ।
- 4- साथ ही विश्वविद्यालय ने बीज परीक्षण इत्यादि पर भी प्राईवेट कम्पनियों से एक एम.ओ.यू किया हैं जिसकी जानकारी प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों को नहीं दी गई । डॉ एम.पी.साहू निदेशक अनुसंधान कृषि एवं माननीय सदस्य प्रबन्ध मण्डल ने इस एम.ओ.यू के बारे में पूर्ण जानकारी सदन को उपलब्ध कराई साथ ही यह पारित किया गया कि भविष्य में इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां/एम.ओ.यू आदि की जानकारी प्रबन्ध मण्डल की बैठक में रखी जाएं ।
- 5- माननीय सदस्यों ने सदन को अवगत कराया कि विश्वविद्यालय को अपनी आय बढ़ाने एवं खर्चों पर कटौती करने के लिये आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिए । आय बढ़ाने हेतु सदस्यों ने सदन को अवगत कराया कि कुछ राज्यों में मण्डियों पर कुछ प्रतिशत सेस लगाकर जो आय होती है वह राज्यसरकार द्वारा कृषि विश्वविद्यालय को दी जाती है इसी प्रकार की व्यवस्था यहाँ लागू करने के प्रयास किये जाएं साथ ही आय बढ़ाने के लिये फार्मों का समुचित उपयोग किया जाए साथ ही मार्केटिंग इत्यादि से आय को बढ़ाये जाने का प्रयास किया जाए । माननीय कुलपति महोदय ने सदन को अवगत कराया कि आय बढ़ाने एवं खर्चों में कटौती करने हेतु एक कमेटी का गठन किया जायेगा ।
- 6- श्री सन्तोष सहारण, विधायक एवं सदस्य ने सदन को अवगत कराया कि कुछ कर्मचारियों/अधिकारियों जिन्होंने पूर्व में पेंशन विकल्प नहीं किया था उन्हें एक अवसर दिया जाएं । प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ माननीय विधायक महोदय को वित्त नियन्त्रक महोदय ने अवगत कराया कि नियमानुसार एक बार विकल्प भरने के बाद परिवर्तन नहीं किया जा सकता फिर भी प्रकरण को एक बार राज्यसरकार को भेजकर आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त किये जाएं ।

आसन के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित के साथ बैठक समाप्ति की घोषणा की गई ।

( रामदेव गोयल )  
कुल सचिव  
एवं  
सदस्य सचिव

32/11/10  
( सूरजमल मीणा )  
आई.ए.एस  
कुलपति  
एवं  
अध्यक्ष प्रबन्ध मण्डल